"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जनवरी 2007—पौष 26, शक 1928

वित्त तथा योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-6/2003/वित्त (सम.) /चार (2).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ के खण्ड (1) के साथ पठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003 (क्रमांक 9 सन् 2003) की धारा 3 के उपबंधों के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 286/ब-4/चार/2003, दिनांक 22-08-2003 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

कण्डिका 4 में शब्द तथा अंक "31 दिसम्बर, 2006" के स्थान पर शब्द तथा अंक "30 अप्रैल, 2007" प्रतिस्थापित किये जायें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2007

क्रमांक एफ 1-6/2003/वित्त (सम.) /चार (2).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-6/2003/वित्त (सम.) /चार (2), दिनांक 16-01-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 16th January 2007

NOTIFICATION

No. F 1-6/2003/FD (Co)/IV (2).—Inpursuance of the provision of the clause (1) of Article 243-I of the Constitution of India read with section 3 of Chhattisgarh Rajya Vitta Ayog (Amendment) Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994), the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following further amendments in this department's notification No. 286/B-4/IV, dated 22nd August, 2003 namely :-

AMENDMENT

In the said notification,—

In Para 4, for the words and figures "31st December, 2006" the words and figures "30th April, 2007" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.